

संक्षिप्त समाचार

तेंदुए की खाल के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

गरियाबंद(विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नवरंगपुर बनामंडल के बालूडलाइफ स्कॉड, उदंती-सीतानदी की एन्टी पोलिंग टीम एवं डी.आर.आई ओडिशा की संयुक्त टीम ने तेंदुए की खाल के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1 नग मोटर सायकल, 3 नग मोबाइल भी जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार बालूडलाइफ जरिस्टर कमीशन ईंडिया से प्राप्त छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा (उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जॉन से लगा हुआ क्षेत्र) में तस्करी के दो संदर्भों तहत 22 नवंबर 2024 को एन्टीपोलिंग टीम उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व नवरंगपुर बनामंडल एवं डी.आर.आई रायपुर के साथ संयुक्त टीम गठित कर उमरकोट परिस्केत्र के करका सेक्षण के उदयपुर-हथिबेना मार्ग पर तेंदुआ की खाल के साथ चमरा गोड पिटा रहा, खेतुराम पिटा कुहान हरिजन, मंगलदास पिटा लोकानाथ हरिजन को मौके से पकड़ा गया प्रारंभिक पूछताले में आरोपियों ने तेंदुआ खाल को एक पूर्ण कांडा बताई तेंदुआ खाल की सर से पूँछ तक की कुल लम्बाई 195 सेंटीमीटर थी एवं प्रथम दृष्ट्या जरर देकर शिकार करना पाया गया। आरोपियों से 1 नग मोटर सायकल, 3 नग मोबाइल भी जस किये गये तीनों आरोपियों को पकड़कर विस्तृत पूछताल के लिए रायघर परिस्केत्र कार्यालय(जिला नवरंगपुर) लाया गया एवं प्रक्रम क्रमांक 131 श्रद्ध 2024-25 दर्ज किया गया। प्रकरण में फार छत्तीसगढ़-ओडिशा बोर्ड पर संकीर्ण अन्य तस्करी/ आरोपियों एवं वन्यप्राणी अवयवों की तलाश जारी है।

जंगल में जुआ खेल रहे चार जुआरी गिरफ्तार

धमतरी(विश्व परिवार)। मुख्यमंत्री की सूचना पर पुलिस ने ग्राम डॉरगडुला, भैसामुड़ा मार्ग के किनारों जंगल में ताश जुआ खेल रहे चार जुआरीयों को पकड़ा है। नगरी पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री के बताये स्थान ग्राम डॉरगडुला भैसामुड़ा मार्ग किनारे डॉरगडुला जंगल में जुआ ताश खेल रहे जुआरीयान को घेरावंदी कर पकड़ा गया जो की आम जगह में रूपये पैसे से हारजात का दाव लगाकर ताश काट पत्ती नामक जुआ खेलते रहे हाथ मिलने पर 04 जुआरीयों के कब्जे से नगदी रकम 650/- रूपये एवं 52 पत्ती ताश गवाहों के सम्बन्धीय जस कर थाना नामी में धोन 03(2) आए। एकट के तहत अपराध कायम कर वैधानिक कार्यवाही किया गया। उक्त कायवाही में थाना प्रभारी नगरी निरीक्षक शरद तापकारा, सउनि.चंद्रशेखर गेडाम, श्रीराम पटेल, प्रभारी जीवन नेताम, ईशु साह, आरक्षक मानसिंह मरकाम, धर्मेंद्र बंडेल, योगेंद्र साह, योगेश साह, पैकरा, महाबली सलाम, केशव पटेल, बिरेंद्र धर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

गांजा तस्करी करते चार आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़(विश्व परिवार)। जिले में एसपी दिव्यांग कुपार पटेल के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की लापात्रा कार्रवाई के तहत कल 22 नवंबर को तीन अलग-अलग मामलों में 7 किलो गांजा जब्त किया गया, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 82,000 है। चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और उनके खिलाफ एन्टीपोलिस एकट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। थाना प्रभारी नामक जिला कायवाहीय कार्यवाही के बताये स्थान ग्राम डॉरगडुला भैसामुड़ा मार्ग किनारे डॉरगडुला जंगल में जुआ ताश खेल रहे जुआरीयान को घेरावंदी कर पकड़ा गया जो की आम जगह में रूपये पैसे से हारजात का दाव लगाकर ताश काट पत्ती नामक जुआ खेलते रहे हाथ मिलने पर 04 जुआरीयों के कब्जे से नगदी रकम 650/- रूपये एवं 52 पत्ती ताश गवाहों के सम्बन्धीय जस कर थाना नामी में धोन 03(2) आए। एकट के तहत अपराध कायम कर वैधानिक कायवाही किया गया। उक्त कायवाही में थाना प्रभारी नगरी निरीक्षक शरद तापकारा, सउनि.चंद्रशेखर गेडाम, श्रीराम पटेल, प्रभारी जीवन नेताम, ईशु साह, आरक्षक मानसिंह मरकाम, धर्मेंद्र बंडेल, योगेंद्र साह, योगेश साह, पैकरा, महाबली सलाम, केशव पटेल, बिरेंद्र धर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कोरबा-चांपा मार्ग में हुए हादसे में कार के उड़े परखच्चे

कोरबा(विश्व परिवार)। कोरबा जिले के दोपीड़ी एवं जंगल में आरोपी ने बताया कि खाल बरामद किया गया। पूछताले में आरोपी ने बताया कि खाल बरामद किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान दो लोग सवार थे जिन्हें न्यायालय में पेश तो किया गया लेकिन वन विभाग के द्वारा सूल रेंजे के चलते खाल रखने का आरोपी को न्यायालय से शाम तक जमानत मिल गई।

दम्पत्ति के कार से चींतल की खाल बरामद, तस्करी के आरोप में गिरफ्तार

वन विभाग की कार्यवाही संदेह के दायरे में

गरियाबंद(विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नवरंगपुर बनामंडल के बालूडलाइफ स्कॉड, उदंती-सीतानदी की एन्टी पोलिंग टीम एवं डी.आर.आई ओडिशा की संयुक्त टीम ने तेंदुए की खाल के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1 नग मोटर सायकल, 3 नग मोबाइल भी जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार बालूडलाइफ जरिस्टर कमीशन ईंडिया से प्राप्त छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा (उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जॉन से लगा हुआ क्षेत्र) में तस्करी के दो संदर्भों तहत 22 नवंबर 2024 को एन्टीपोलिंग टीम उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व नवरंगपुर बनामंडल एवं डी.आर.आई रायपुर के साथ संयुक्त टीम गठित कर उमरकोट परिस्केत्र के करका सेक्षण के उदयपुर-हथिबेना मार्ग पर तेंदुआ की खाल के साथ चमरा गोड पिटा रहा, खेतुराम पिटा कुहान हरिजन, मंगलदास पिटा लोकानाथ हरिजन को मौके से पकड़ा गया, कार में एक महिला सहित दो लोग सवार थे जिन्हें न्यायालय में पेश तो किया गया लेकिन वन विभाग के द्वारा सूल रेंजे के चलते खाल रखने का आरोपी को न्यायालय से शाम तक जमानत मिल गई।

जात हो कि शुक्रवार सुबह जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ग्राम बालू के बताया के द्वारा विभाग जांच नामक में जांच के दौरान दम्पत्ति के कार से एक चींतल की खाल बरामद किया गया, उक्त कार में महिला सहित दो लोग सवार थे जिन्हें न्यायालय में पेश तो किया गया लेकिन वन विभाग के द्वारा सूल रेंजे के चलते खाल रखने का आरोपी को न्यायालय से शाम तक जमानत मिल गई।



गया युवा चींतल की खाल बरामद किया गई। उक्त कार्यवाही के दौरान एस डी ओपी पी विश्वासीना की निशा सिन्हा भी उपस्थित थी। वही कार के नीचे चंद्री चींतल के खाल के आरोपियों सहित नगर के सिटी कोतवाली लाया गया, जहाँ पूरे वाहन की तलाशी ली गई उक्त कार में एक बैग से लालों रूपये के हस्ताक्षर युक्त चेक भी बरामद किया गया, इस कार्यवाही के बताया के द्वारा रोका गया, कार में एक महिला व पुरुष सवार थे कर को पुरुष चालक मध्ये बखरिया के द्वारा झाइवरन किया जा रहा है। उक्त कार को उक्त चालक मध्ये आरोपी मध्ये और उक्त कार को खिलाफ वर्किंग द्वारा प्रोट्रायरी के द्वारा झाइवरन किया जा रहा है। जांच के दौरान वाहन को उक्त चालक की खाल बरामद हुआ। तदोपरांत वाहन एवं वाहन मालिक मध्ये वाहन विभाग के एक मारुती सुजकी बैलोने वाहन में एक मारुती सुजकी बैलोने वाहन के बीच नट बोल्ट से कस कर रखा

त्रीमती स्वाति बखरिया, को कोतवाली थाना गरियाबंद लाकर विस्तृत जांच पड़ताल किया गया एवं अपराधियों के विरुद्ध भारतीय बन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 09, 39, 44, 48 (c), 50, 51, 52 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) (ज) के अंतर्गत अपराध पज़ीबद्ध कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहाँ शाम तक उक्तकी जमानत हो गई।

गैरतालब है कि इससे पूर्व खरगोश खाल रखने, बंदर खाल रखने के अरोपी, जंगल में तीर धूम्रपान के अरोपी, हिरण के मांस, अतिक्रमण करने के अरोपी बैकायदा जेल दाखिल कर दिया जाता था, और वन विभाग अपनी ही पीठ थपथथा लेते थी लेकिन चींतल के खाल को रखकर कार एवं निर्देशन में तकाल सभी संभावित मार्गों पर वन परिस्केत्र अधिकारी, वनकर्मचारियों एवं सहायोगी पुलिस कर्मचारियों एवं सहायोगी पुलिस कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही को बनायी रखने के बावजूद वाहन को उक्त चालक की खाल बरामद किया गया, इस कार्यवाही के बावजूद वाहन को उक्त चालक की खाल बरामद किया गया। जांच के दौरान वाहन को उक्त चालक की खाल बरामद हुआ। तदोपरांत वाहन एवं वाहन मालिक मध्ये वाहन विभाग के एक जिम्मेदार अफसर का कहना है कि इनकी स्वीकृति वाहन को उक्त चालक की खाल बरामद किया गया। जांच के दौरान वाहन को उक्त चालक की खाल बरामद हुआ। तदोपरांत वाहन एवं वाहन मालिक मध्ये वाहन विभाग के एक जिम्मेदार अफसर का कहना है कि इनकी स्वीकृति वाहन को उक्त चालक की खाल बरामद किया गया। जांच के दौरान वाहन को उक्त चालक की खाल बरामद हुआ। तदोपरांत वाहन एवं वाहन मालिक मध्ये वाहन विभाग के एक जिम्मेदार अफसर का कहना है कि इनकी स्वीकृति वाहन को उक्त चालक की खाल बरामद किया गया। जांच के दौरान वाहन को उक्त चालक की खाल बरामद हुआ। तदोपरांत वाहन एवं वाहन मालिक मध्ये वाहन विभाग के एक जिम्मेदार अफसर का कहना है कि इनकी स्वीकृति वाहन को उक्त चालक की खाल बरामद किया गया। जांच के दौरान वाहन को उक्त चालक की खाल बरामद हुआ। तदोपरांत वाहन एवं वाहन मालिक मध्ये वाहन विभाग के एक जिम्मेदार अफसर का कहना ह

